मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ 03-41/2017/26-2 भोपाल, दिनांक 23/12/2017

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर म.प्र
2. समस्त संयुक्त/उप संचालक,
   सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग म.प्र.

विषय– **"समाधान एक दिन–तत्काल सेवा"** व्यवस्था के अंतर्गत निःशक्त विवाह प्रोत्साहन स्वीकृत करने विषयक।

1. सेवा का उद्देश्य– तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में निःशक्त विवाह प्रोत्साहन स्वीकृत करने विभाग द्वारा प्रदाय किया जा रहा है।

2. पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा –

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस

3. पात्रता के मापदंड –

4.1 आवेदक/आवेदिका को निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 की धारा–2 में वर्णित परिभाषा अनुसार 40 या उससे अधिक निःशक्तता होनी आवश्यक है।

4.2 आवेदक/आवेदिका मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

4.3 आवेदक के लिये 21 वर्ष तथा आवेदिका के लिये 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो।

4.4 विवाह धार्मिक रीति/सामाजिक रीति या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो।

4.5 आवेदक/आवेदिका आयकरदाता न हो।

4.6 राष्ट्रीय न्यास (National Trust) अंतर्गत प्रदायित वैद्यानिक संरक्षकता (Legal Guardianship) प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे मानसिक निःशक्त व्यक्ति जिन्हें चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा "विवाह हेतु योग्य" का प्रमाण पत्र दिया गया है, वे ही विवाह उपरांत योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

4.7 निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त के करने के लिये निःशक्त दंपत्ति में से किसी एक को विवाह संपन्न होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन करना होगा, अन्यथा निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी ।